न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 28/2013

श्रीमती सतवंत कौर पत्नी स्व0 श्री परमेन्द्र पाल, निवासी 48, पुष्कर गंज गली नं0–01, ब्यावर, जिला अजमेर **.......अपीलान्ट**

बनाम

1.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर।

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री विभौर गौड — अभिभाषक अपीलान्ट
2.. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 20.06.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील ब्यावर के खसरा नं0 535 रकबा 01–01–00 बीघा, खसरा नं0 534/2 रकबा 02–10–00 बीघा 523/2 रकबा 01–07–10.5 बीघा में से खसरा नं0 534/2 के 1/2 हिस्से को छोडकर शेष आराजी बाबत मृतक खातेदार परमेन्द्रपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04.2013 के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उनके हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ब्यावर द्वारा इसे अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार ब्यावर के इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उन्हौने कहा कि ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील ब्यावर के खसरा नं0 535 रकबा 01–01–00 बीघा, खसरा नं0 534/2 रकबा 02–10–00 बीघा 523/2 रकबा 01–07–10.5 बीघा में से खसरा नं0 534/2 के 1/2 हिस्से को छोडकर शेष आराजी बाबत मृतक खातेदार परमेन्द्रपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.04.2013 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में परमेन्द्रपाल सिंह के स्थान पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक आधार के आदेश दिनांक 24.09.2013 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। वसीयत अनरजिस्टर्ड है जिसे प्रोबेट नहीं करवाया गया है, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया जा सकता है, रेस्पोडेन्ट का यह तर्क विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से मान्य नहीं है। खातेदार कृषक की मृत्यु के बाद जो वसीयत (इच्छा पत्र) नामान्तरकण के लिए प्रस्तुत हो, उसकी इस बिन्दु पर जांच करना आवश्यक नहीं है कि वसीयत पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत है। वसीयत का दो गवाहों द्वारा प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। विधि अनुसार ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपने कथनों की पुष्टि में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा 2012(5)WLC(Raj.) पेज 322 से 331 के उद्वरण उद्वत करवाते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेन्च) निर्णय दिनांक 8.5.2012 के अनुसार अजमेर क्षेत्र में निष्पादित वसीयत हेतु प्रोबेट आवश्यक नहीं है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 24.9.2013 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में स्व0 परमेन्द्रपाल सिंह के स्थान पर अपीलान्ट के पक्ष में विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान फरमावें।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिन खसरा नम्बरान का उल्लेख किया गया है उनका अंकन वसीयत में नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में इन्दाज नहीं किया जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व0 परमेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति पंजाबी सिख निवासी ब्यावर द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पति बाबत अन्तिम वसीयत अपनी पत्नी (अपीलान्ट) के हक में दिनांक 18.4.2013 को दो गवाहो के समक्ष निष्पादित की गई है, जो दिनांक 5.8.13 को नोटेरी से तस्दीक की गई है। इस वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा ग्राम नरसिंह पुरा के खसरा संख्या 535, 534/2, 523/2 में से 534/2 के 1/2 हिस्से की आराजी को छोडकर शेष आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड में स्वर्गीय परमेन्द्रपाल सिंह के स्थान राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ब्यावर द्वारा मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी भी प्रकार का राजस्व इन्द्राज नही किया जा सकता। जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 18 (ड) के अनुसार वसीयत का पंजीयन वैकल्पिक है अर्थात् जरूरी नहीं है। नियमानुसार खातेदार कृषक की मृत्यु के बाद जो वसीयत नामान्तरकरण के लिए प्रस्तुत होती है, तो इस बिन्दु पर जांच करना आवश्यक नहीं है कि वह पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत है, अपितु उसका दो गवाहों के द्वारा प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। वसीयत के मामले में राजस्व अधिकारी को बारीकी से जांच हेतु प्रमाणीकरण करने वाले गवाहों के बयान लेने चाहिए। गवाहों द्वारा बयान में स्पष्ट किया जाता है कि वसीयत करने वाले को हस्ताक्षर करते हुए एवं स्वीकार करते हुए देखा है तो वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार ब्यावर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2013 निरस्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार जांच/परीक्षण कर पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर